कार्यवाह
प्रदर्श
गई साक्ष्य
अतः
22/2/17
वादी
7/3/17

पत्रावली तलब की गई। विपक्षी अधिवक्ता ने प्रा.पत्र आदेश 9 नियम 13 का पेश किया जिस पर मनन किया गया। चूंकि प्रकरण में केवल दि. 26/4/16 को मात्र ऑर्डरशीट किया गया था और उसके बाद कोई जवाब या वकील पत्र पेश नहीं किया। प्रकरण पूर्णतया एकतरफा होने से उचित निर्णय पारित किया गया है अतः प्रा.पत्र O 9 R 13 निरस्त किया जाकर उसराय पालना होवे। पत्रावली पुन. दाखिल दफ्तर हो

पत्रावली तलब की गई। वकील

13/10/17 वादी ने धारा 152 दि. प्र. स का पेश कर निवेदन किया कि मामालमुहाला के जारी डिक्री में मौजा गोमाता की आराजी खसरा 1473 रकबा 2 बिघा 17 बिस्वा के अनुसार नवीन आराजी नं. 1071 रकबा 0.58 हे आराजी में से रकबा 0.01 हे राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त होने का अंकन चालू जमाबन्दी में होने से अब आरा. 1071 का रकबा 0.57 हे मानते हुए इसे अन्य खातेदारान से अलग की जाकर वादी के स्वामित्व अधिपत्य की जाकर वादी के स्वामित्व अभिपत्य की होने से उक्त 0.01 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त की गई है वह भूमि भी वादी के पूर्व उक्त 1071 का हिस्सा होने से नामांतरण की मानी जाने का आवेदन किया। आवेदन स्वीकार किया जाकर उक्त अनुसार संशोधित डिक्री जारी होकर पालना हो पत्रावली पुन: दाखिल दफ्तर हो